[2022] 19 एस.सी.आर. 343

ओडिशा राज्य और अन्य

बनाम

सुलेख चन्द्र प्रधान और अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 3036-3064)

20 अप्रैल, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे.जे.]

ओडिशा शिक्षा (सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1974 - नियम 5, 6 - न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर मूल आवेदनों की अनुमति दी, जिससे उनकी समाप्ति को रद्द कर दिया गया और उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई सरकारी कर्मचारी के रूप में तीसरे शिक्षक/सहायक शिक्षक के रूप में माध्यमिक अंग्रेजी स्कूलों (एम.ई. स्कूलों) में नियमित शिक्षक के रूप में, 137 हिंदी शिक्षकों को भी समान राहत दी गई - अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं - अपील पर, आयोजित अनुमोदन आदेश का अवलोकन उड़ीसा सरकार के शिक्षा और युवा सेवा विभाग, यह बताएगा कि प्रत्येक एम.ई. स्कूल के लिए, केवल दो पद, यानी प्रशिक्षित स्नातक हेडमास्टर का एक पद और प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षक का एक पद स्वीकृत किया गया है - आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि शिक्षण का कोई अन्य पद नहीं और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी - इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी आवेदकों/प्रतिवादियों/शिक्षकों की नियुक्ति नियमों/क़ानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे संबंधित प्रबंधन द्वारा की गई है - के उल्लंघन में की गई नियुक्तियाँ वैधानिक प्रावधान प्रारंभ से ही शून्य हैं - न्यायाधिकरण ने आवेदकों/शिक्षकों के मूल आवेदनों को अनुमति देने में गलती की - इसी तरह, उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने में भी गलती की गई- उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और न्यायाधिकरण के आदेशों को खारिज कर दिया गया, भारत का संविधान - अनुच्छेद 136 - सेवा कानून।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

पाया गया: 1.1 उड़ीसा सरकार, शिक्षा और युवा सेवा विभाग के दिनांक 12 सितंबर, 1980 के अनुमोदन आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्येक एम.ई. स्कूल के लिए, केवल दो

पद, अर्थात, एक प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक का एक पद और एक पद एक प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षक को मंजूरी दे दी गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी अन्य पद की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विवादित नहीं है कि सभी आवेदकों/प्रतिवादियों/शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित प्रबंधन द्वारा नियम/कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे की गई है। यह एक साधारण कानून है कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियाँ शुरू से ही अमान्य हैं। यह तर्क उठाया गया कि चूंकि आवेदकों/शिक्षकों को उन पदों पर नियुक्त किया गया था जो अनुदान सहायता के आधार पर नहीं थे, इसलिए उक्त नियम लागू नहीं होते हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाता है। उक्त नियम स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि वे सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान पर लागू होते हैं। निर्विवाद रूप से, जिन संस्थानों में आवेदकों/शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, उन्हें 12 सितंबर, 1980 के जी.ओ. द्वारा सहायता प्राप्त एम.ई. स्कूलों के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भी विवाद में नहीं है कि इस तरह की नियुक्तियाँ स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद की गई थीं। ऐसे में, उस संबंध में विवाद खारिज किए जाने योग्य है। [पैरा 31-33][356-ई-जी; 357- बी-सी]

1.2 न्यायाधिकरण, 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 को फैसला सुनाते समय, उसी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 25 जून, 2013 और 23 सितंबर, 2013 के पहले के आदेशों पर विचार करने में विफल रहा है। 2013 के उक्त आदेशों में, न्यायाधिकरण ने उक्त नियमों के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया था और उसमें आवेदकों की ओर से उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाई थी। न्यायाधिकरण द्वारा अपने पहले के आदेशों की अनदेखी करते हुए पारित आदेश, जो उक्त नियमों की योजना पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए पारित किए गए थे, न्यायिक औचित्य के सुस्थापित मानदंडों के पूरी तरह से विपरीत हैं। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने ओ.ए. को अनुमति दे दी है। क्रमांक 2270/2015 को उसके आदेश दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा श्री अंतर्यामी बाल द्वारा दायर किया गया था, जिसका पूर्व आवेदन ओ.ए. था। इसी राहत के संबंध में 1996 की संख्या 4029(2) को न्यायाधिकरण ने अपने पहले के आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा खारिज कर दिया था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अस्थिर हैं। इतना ही नहीं, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर, 1996 को सिविल अपील संख्या 15712/1996 में पारित आदेश पर विचार करने में विफल रहा है। उच्च

न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से न्यायिक विवेक का पालन नहीं किया गया है। मन का प्रयोग. जबकि कारण शीर्षक स्वयं दिखाएगा कि 2018 की एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 6557 का निपटारा आलोच्य निर्णय एवं आदेश द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय ने पाया कि 18 मई, 2017 का आदेश, न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. में पारित किया गया था। 2015 की संख्या 2266 को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। जहाँ तक कि शिक्षकों ने मुश्किल से चार साल तक काम किया है और इसका एक बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण है, उच्च न्यायालय का मानना है कि शिक्षकों ने 20 वर्षों से अधिक की अवधि तक काम किया है। राज्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते समय ठोस कारणों को छोड़कर कोई भी कारण, आलोच्यादेश में परिलक्षित नहीं होता है। [पैरा 34,35][357-डी-जी; 358- ए-बी]

1.3 यह न्यायालय को इस दलील के साथ छोड़ता है कि चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है और इसे चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है, इसलिए न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण अंतिम हो गया है। केवल विशेष अनुमति याचिका खारिज होने का मतलब यह नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार, उस संबंध में तर्क खारिज किया जाता है। न्यायाधिकरण ने आवेदकों/शिक्षकों के मूल आवेदनों को अनुमति देने में गलती की है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने में गलती की है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आलोच्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2018 रिट याचिकाओं के एक बैच में पारित हुआ और न्यायाधिकरण के 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 के निर्णय और आदेश मूल आवेदनों के एक बैच में पारित हुए। रद्द एवं खंडित कर दिया जाता है। न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तरदाताओं/आवेदकों द्वारा दायर मूल आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

[पैरा 36-39][358- सी; 359-डी-एफ]

आयुर्वेद प्रसारक मंडल और अन्य बनाम गीता भास्कर पेंडसे (श्रीमती) और अन्य (1991) 3 एससीसी 246: [1991] 2 एससीआर 282; जे एंड के लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम डॉ. नरिंदर मोहन और अन्य (1994) 2 एससीसी 630: [1993] 3 सप्ल। एससीआर 900; आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (2008) 10 एससीसी 1: [2008] 15 एससीआर 331; भारत संघ और अन्य बनाम रघुवर पाल सिंह (2018) 15 एससीसी 463: [2018] 4 एससीआर 1012; कुन्हायमद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (1997) 2 एससीसी 635: [1996] 9 पूरक। एससीआर 434 - पर निर्भर।

निर्णयों के सन्दर्भ

[1991] 2 एससीआर 282 पैरा 32 पर निर्भर
[1993] 3 पूरक। एससीआर 900 पैरा 32 पर निर्भर
[2008] 15 एससीआर 331 पैरा 32 पर निर्भर
[2018] 4 एससीआर 1012 पैरा 32 पर निर्भर
[1996] 9 पूरक। एससीआर 434 पैरा 36 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 की सिविल अपील संख्या 3036-3064

उड़ीसा उच्च न्यायालय के कटक पीठ के दिनांक 20.12.2018 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक 6557, 10792, 8037, 8040, 9163, 10844, 10876, 10880, 10970, 11394, 11399, 11400, 11401, 11546, 11554, 11556, 11796, 1 1798, 12520, 13672, 13848, 13850, 13999 , 2018 के 14107, 14108, 14109, 14448, 14449 और 14450 वर्ष 2018 ।

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता शिबाशीष मिश्रा, अमजिद मकबूल, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव अग्रवाल, जावेदुर रहमान, पबित्रा कुमार बिस्वाल, शिवेंद्र सिंह, हितेंद्र नाथ रथ, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.
न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

बी. आर. गवई, जे.

1. अनुमति स्वीकृत.

2. अपीलकर्ता - ओडिशा राज्य और अन्य ने रिट याचिकाओं के एक बैच में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ द्वारा दिए गए 20 दिसंबर, 2018 के फैसले और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 2018 की याचिका (सिविल) संख्या 6557 संबंधित मामलों के साथ, जिससे अपीलकर्ताओं - ओडिशा राज्य और अन्य द्वारा दायर उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिसमें ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा दिए गए निर्णयों और आदेशों को चुनौती

दी गई थी। "), भुवनेश्वर पीठ, भुवनेश्वर/कटक पीठ, कटक दिनांक 18 मई, 2017 को ओ.ए. क्रमांक 2266 सन् 2015 संबंधित मामलों सहित एवं 30 जनवरी 2018 को ओ.ए. 2015 की संख्या 3420 (सी) संबंधित मामलों के साथ।

ओडिशा राज्य और अन्य। आदि आदि। वी. सुलेख चंद्र प्रधान आदि आदि। [बी। आर. गवई, जे.]

3. ओ.ए. संख्या 2266/ 2015 , संबंधित मामलों के साथ में पारित किया गया, आदेश के अनुसार दिनांक 18 मई, 2017 के , न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर पीठ ने आवेदकों (यहाँ उत्तरदाताओं) द्वारा दायर मूल आवेदनों को अनुमति दे दी थी, जिससे आवेदकों (यहाँ प्रतिवादियों) की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था और उन्हें जारी रखने का निर्देश/अनुमति दी गई थी। 1 अप्रैल, 2011 से नियमित शिक्षक के रूप में मध्य अंग्रेजी स्कूलों (इसके बाद "एम.ई. स्कूल" के रूप में संदर्भित) में तीसरे शिक्षक/सहायक शिक्षक के रूप में सरकारी कर्मचारी। 30 जनवरी, 2018 के आदेश के तहत, न्यायाधिकरण, कटक पीठ ने 18 मई, 2017 के अपने पहले के आदेश का पालन किया और 137 हिंदी शिक्षकों को समान राहत दी।

4. पार्टियों को यहां वैसे ही संदर्भित किया गया है जैसे उन्हें मूल आवेदनों में संदर्भित किया गया है।

5. वर्तमान अपीलों को उत्पन देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

6. सभी आवेदक 1988-89 के आसपास सहायता प्राप्त एम.ई. स्कूल में हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल हुए। आवेदक-सुलेख चंद्र प्रधान (यहाँ प्रतिवादी नंबर 1) न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर पीठ, यानी, ओ.ए. के समक्ष मुख्य मामले में हैं। 2015 की संख्या 2266, 21 जून, 1988 को नियुक्त की गई और 23 जून, 1988 को जिला केंद्रपाड़ा के नृसिंह जेना एम.ई. स्कूल, नागिनीपुर में हिंदी शिक्षक के रूप में योगदान दिए। उक्त आवेदक की नियुक्ति उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा की गई थी।

7. 12 मई, 1992 को, उड़ीसा सरकार के शिक्षा विभाग ने एक संकल्प जारी किया, जिससे 1 अप्रैल, 1991 से ओडिशा राज्य में स्थित सभी एम.ई. स्कूलों को अपने अधिकार में ले लिया गया। हालाँकि सरकार ने सभी शिक्षकों सहित एम.ई. स्कूल के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी सेवकों के रूप में, हिंदी शिक्षकों को सरकारी सेवकों के रूप में नहीं लिया गया और इसलिए, आवेदकों की सेवाएं स्वत: रूप से समाप्त हो गईं। इससे व्यथित होकर, 2 जुलाई, 1993 को, सुलेख चंद्र प्रधान (यहां प्रतिवादी नंबर 1) ने रिट याचिका ओजेसी नंबर 3042/1993 के माध्यम से कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया,

जिससे शिकायत हुई कि लाभ बढ़ाया गया उप निदेशक, संस्कृत, हिंदी और विशेष शिक्षा (बाद में "उप निदेशक" के रूप में संदर्भित) के 1 मई, 1992 के पत्र के संदर्भ में हिंदी शिक्षकों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। यह दावा किया गया था कि यद्यपि उसके पास अपेक्षित योग्यता थी, फिर भी उसे एम.ई. स्कूल में तीसरे शिक्षक के पद पर शामिल नहीं किया जा रहा था जहाँ वह पहले कार्यरत था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2 जुलाई, 1993 के फैसले और आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उड़ीसा (इसके बाद "निदेशक" के रूप में संदर्भित) को सुलेख चंद्र प्रधान के शिकायतों पर आदेश की प्राप्ति के चार महीने के भीतर गौर करने का निर्देश देकर उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

8. 7 जनवरी, 1994 को, उड़ीसा सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि सभी स्कूल निरीक्षकों/सभी जिला स्कूल निरीक्षकों को संबोधित उप निदेशक का 1 मई, 1992 का पत्र केवल उन शिक्षकों पर लागू था, जो स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किये गये थे और योजना एवं गैर-योजना के तहत सरकारी निधि से अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे। 1 मई, 1992 के उक्त संचार द्वारा, उप निदेशक ने स्पष्ट किया था कि एम.ई. स्कूलों में हिंदी एक गैर-परीक्षा योग्य विषय है, इसलिए एम.ई. स्कूलों में मौजूदा हिंदी शिक्षकों को आगे जारी रखने की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, उड़ीसा सरकार ने 29 सितंबर, 1995 को निदेशक को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि सरकार ने प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त ऐसे हिंदी शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी (एमई) स्कूलों में या तो सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर या ऐसे स्कूलों में या अन्य स्कूलों में सृजित किए जाने वाले हिंदी शिक्षक के पद पर सहायक शिक्षकों के रूप में यूपी (एमई) स्कूलों में मानदंड तृतीय शिक्षकों के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट। दिनांक 29 सितंबर, 1995 के उक्त संचार के माध्यम से, निदेशक को संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से उनकी योग्यता के साथ हिंदी शिक्षकों के नाम का पता लगाने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में, निदेशक ने तुरंत सरकार को सूचित किया कि चूंकि नियुक्तियां मानदंडों से परे और ओडिशा शिक्षा (सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के शिक्षकों और सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1974 के प्रावधानों के खिलाफ की गई थीं। इसके बाद "उक्त नियमों" के रूप में संदर्भित), ऐसे हिंदी शिक्षकों के नाम और योग्यताएं प्रस्तुत करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भ देने से कार्यालय रिकॉर्ड में हेरफेर की हर संभावना पैदा होगी। यह भी बताया गया कि इस तरह की कवायद से पिछली तारीखों में नियुक्तियां करके अनुमोदन के लिए हिंदी शिक्षकों के नाम

प्रायोजित करने में मदद मिल सकती है। इसलिए यह सिफारिश की गई कि केवल ऐसे शिक्षकों के मामले, जिन्होंने 12 मई, 1992 और 12 मई, 1993 के बीच, यानी स्कूलों का कार्यभार संभालने के एक साल के भीतर, रिट आवेदन दायर किया था, को एक बार के उपाय के रूप में माना जाना चाहिए।

ओडिशा राज्य और अन्य। आदि आदि। वी. सुलेख चंद्र प्रधान आदि आदि। [बी। आर. गवई, जे.]

10. दिनांक 21 मई, 1996 को उड़ीसा सरकार ने निदेशक को सूचित किया कि सरकार ने एम.ई. स्कूलों में 137 हिंदी शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 17 जून, 1996 के संचार के माध्यम से, उड़ीसा सरकार ने निदेशक को यह भी सूचित किया कि हिंदी शिक्षकों के मूल कागजात की जांच करते समय, उनके निस्तारण पंजी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 21 अगस्त के संचार द्वारा,

1996, उड़ीसा सरकार ने निदेशक को सूचित किया कि राज्य सरकार के अगले आदेश तक उसके पहले के पत्र/संचार दिनांक 21 मई, 1996 और 17 जून, 1996 के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11. 21 अगस्त, 1996 के पत्र/संचार को नजरअंदाज करते हुए, संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक ने आवेदक - प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 27 अगस्त, 1996 को नियुक्ति आदेश जारी किया। इस पर ध्यान देते हुए, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, उड़ीसा, भुवनेश्वर ने 1 अक्टूबर, 1996 को जिला विद्यालय निरीक्षक को एक संचार/पत्र भेजकर सूचित किया कि उनके द्वारा की गई सभी नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 के उक्त संचार के आधार पर, आवेदकों/हिंदी शिक्षकों की सेवाएं 4 नवंबर, 1996 से बंद कर दी गईं। 5 सितंबर, 1998 को उड़ीसा सरकार ने एक पत्र भेजा निदेशक को, यह कहते हुए कि सरकार ने अपना जी.ओ. संख्या 31360 एसएमई दिनांक 29 सितंबर, 1995 वापस ले लिया है।

12. यह राज्य सरकार का तर्क है कि उड़ीसा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने 7 जुलाई, 2009 को निदेशक को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने एम.ई. स्कूलों में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों के रूप में 137 हिंदी शिक्षकों की रिक्त पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। 2 फरवरी, 2011 को एक अन्य संचार के माध्यम से, निदेशक के कार्यालय ने स्कूलों के जिला निरीक्षकों को सूचित किया कि उनकी अध्यक्षता में गठित एक समिति को हिंदी शिक्षकों के मूल कागजात की जांच करनी चाहिए और ऐसे शिक्षकों के समायोजन से पहले उनकी नियुक्ति की तारीख से स्कूल की कैश बुक पदाधिकारी के परिचित रोल को संदर्भ के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए।। 2 फरवरी, 2011 के उपरोक्त संचार के अनुसरण

में, आवेदकों/उत्तरदाताओं को 31 मार्च, 2011 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शिक्षकों ने विभिन्न आवेदन दायर करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, जिससे 1 अक्टूबर, 1996 और 4 नवंबर, 1996 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति को स्थगित रखा गया था। ऐसे अनुप्रयोगों में से एक है O.A. 1996 की संख्या 4029(2) को न्यायाधिकरण ने 12 अप्रैल, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अन्य आवेदन ओ.ए. है। 2012 की संख्या 3800 (सी) एक निमाई चरण दाश द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 21 अगस्त, 2012 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसके तहत उसे नियमित शिक्षक के रूप में समायोजित करने के लिए आवेदक के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था। उक्त आवेदन को न्यायाधिकरण, कटक पीठ ने 23 सितंबर, 2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। उक्त ओ.ए. को खारिज करते हुए। न्यायाधिकरण, कटक पीठ ने सतर्कता विभाग के माध्यम से एक विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

14. जांच में यह पाया गया कि रिक्त पदों पर 137 हिंदी शिक्षकों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने के लिए निदेशक को संबोधित उड़ीसा सरकार का पत्र दिनांक 7 जुलाई 2009 अपने पूर्व पत्र दिनांक 5 सितंबर को दबाकर जारी किया गया था। 1998, जिसके द्वारा हिन्दी शिक्षकों को समायोजित करने हेतु दिनांक 29 सितम्बर, 1995 का पत्र वापस ले लिया गया। इसलिए, उड़ीसा सरकार ने दिनांक 26 फरवरी, 2014 के संचार के माध्यम से निदेशक को 137 हिंदी शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, जिन्हें संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवैध रूप से समायोजित किया गया था। तदनुसार, आवेदकों/शिक्षकों की सेवाएँ 15 मार्च, 2014 से समाप्त कर दी गईं।

15. आवेदकों ने अपनी बर्खास्तगी से व्यथित होकर रिट याचिकाओं (सिविल) संख्या 6747/2014 और अन्य रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 6747/2014 में दिए गए 9 मई 2014 के आदेश के तहत पाया कि समाप्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई थी और इस तरह, इसे रद्द कर दिया गया। हालाँकि, राज्य को याचिकाकर्ता के रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्राकृतिक न्याय के नियम की आवश्यकता का अनुपालन करके याचिकाकर्ता (यानी, रमेश कुमार मोहंती) के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएँ/नियुक्तियाँ प्रतिप्रेषण के बाद अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने तक जारी रहेंगी।

16. इसके अनुसरण में, आवेदकों/शिक्षकों को 15 दिसंबर, 2014 को बहाल कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर, आवेदकों को 22 जुलाई,

351 ओडिशा राज्य और अन्य। आदि आदि। वी. सुलेख चंद्र प्रधान आदि [बी. आर. गवई जे.]

2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कुछ आवेदकों ने दायर किया था उनके उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। उनमें से कई लोगों ने ऐसा न करने का निर्णय लिया। आवेदकों की सेवाएँ 22 अगस्त, 2015 से समाप्त कर दी गईं। व्यथित होकर, मूल आवेदनों का एक बैच न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया। न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर पीठ ने 18 मई, 2017 के आदेश के तहत इसकी अनुमति दे दी, जिससे 22 जुलाई, 2015 के कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया और यह माना गया कि आवेदक तीसरे शिक्षक के रूप में 1 अप्रैल, 2011 से एम.ई. स्कूल में सहायक अध्यापक नियमित सरकारी सेवक बने रहने के हकदार थे।

17. 30 जनवरी, 2018 के एक अन्य आदेश के तहत, न्यायाधिकरण, कटक पीठ ने, न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर पीठ द्वारा पारित 18 मई, 2017 के उपर्युक्त आदेश का पालन किया और 137 हिंदी शिक्षकों को समान राहत दी गई।

18. न्यायाधिकरण के 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 के निर्णयों और आदेशों से व्यथित होकर, ओडिशा राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। इन्हें 20 दिसंबर, 2018 के आलोच्य निर्णय एवं आदेश और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर, विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की गई है। 20 सितंबर, 2019 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और विवादित फैसले और आदेश पर रोक लगा दी गई।

19. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर उदय सिंह, उत्तरदाताओं/शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर बालासुब्रमण्यम को सुना है।

20. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि राज्य ने न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर द्वारा पारित 18 मई, 2017 के फैसले और आदेश को चुनौती नहीं दी है। पीठ, ओ.ए. संख्या 2266/2015 की और अन्य जुड़े मामले। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, रिट याचिका (सिविल) संख्या 6557/ 2018 को ओ.ए. में न्यायाधिकरण द्वारा पारित 18 मई, 2017 के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। 2015 की संख्या 2266 और अन्य जुड़े मामले। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि शिक्षकों ने दो दशकों से अधिक समय तक राज्य सरकार के अधीन सेवा का निर्वहन किया है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह मानने में गलती की है कि राज्य ने शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए उनका कहना है कि न्यायाधिकरण के

साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

21. श्री सिंह ने आगे कहा कि, की गई नियुक्तियाँ उक्त नियमों के नियम 5 और 6 के विपरीत हैं और इस प्रकार, उक्त नियमों के तहत की गई नियुक्तियाँ बरकरार नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण, 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 के फैसले और आदेश सुनाते समय, न्यायाधिकरण के 25 जून, 2013 और 23 सितंबर, 2013 के पहले के आदेशों पर विचार करने में विफल रहा है, जिसके माध्यम से न्यायाधिकरण ने हिंदी शिक्षकों द्वारा किए गए इसी तरह के दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि, वास्तव में, श्री अंतर्यामी बाल, जिनके ओ.ए. (संख्या 2270/2015) को न्यायाधिकरण ने 18 मई, 2017 के फैसले और आदेश के तहत अनुमति दे दी है, जो ओ.ए. क्रमांक 4029 (2) 1996 में आवेदक था। जिसे न्यायाधिकरण, कटक पीठ ने 12 अप्रैल, 2012 के एक तर्कसंगत निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इसलिए उनका कहना है कि न्यायाधिकरण के फैसले और आदेश, जो न्यायाधिकरण के समक्ष लागू किए गए थे उच्च न्यायालय, न्यायिक औचित्य के आधार पर भी टिकाऊ नहीं होगा।

22. तथ्यों के आधार पर, श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों/शिक्षकों ने केवल 27 अगस्त, 1996 और 4 नवंबर, 1996 के बीच काम किया है; 31 मार्च, 2011 और 15 मार्च, 2014 के बीच; और अंत में 15 दिसंबर, 2014 से 25 अगस्त, 2015 तक। तीसरी अवधि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कारण थी। इसलिए उनका कहना है कि, अधिकतम, आवेदकों/शिक्षकों ने लगभग चार वर्षों की अवधि तक काम किया है।

23. विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल का कहना था कि हालांकि एम.ई. स्कूलों में दो पदों की मंजूरी थी, यानी हेडमास्टर का एक पद और सहायक शिक्षक का एक पद; हिंदी शिक्षक के पद प्रबंधन द्वारा गैर-अनुदान आधार पर भरे गए थे। उनका कहना है कि उक्त नियम केवल अनुदान-प्राप्त आधार पर की गई नियुक्तियों और इस प्रकार हेडमास्टर के पद और सहायक अध्यापक के एक पद पर लागू होंगे। चूँकि जिन आवेदकों/शिक्षकों को तीसरे पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि गैर-अनुदान आधार पर था, वे उक्त नियम 24 द्वारा शासित नहीं होंगे।

24. श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के क्रम में ओ.जे.सी. क्रमांक 3042/1993 दिनांक 2 जुलाई 1993 के अनुसार राज्य ने एकमुश्त उपाय के रूप में इन शिक्षकों के समायोजित करने के लिए एक नीति बनाई थी। उनका कहना है कि उन्हें समाहित करने से पहले विस्तृत जांच और पूछताछ की जानी जरूरी थी। उनका कहना है कि यदि आवेदकों/शिक्षकों को उस नीति के अनुसरण में समाहित किया गया, जो उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में बनाई गई थी, तो सेवा समाप्ति कानून की नजर में खराब

होगी। इसलिए उनका कहना है कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

25. हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि समान मामले, यानी, ओ.ए. 2015 की संख्या 3420 (सी) और अन्य संबंधित मामलों को न्यायाधिकरण ने 30 जनवरी, 2018 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी है। उनका कहना है कि न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से की थी। रिट याचिका (सिविल) संख्या 21661/ 2017 में पारित हो गया। उनका कहना है कि इसे चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डी. संख्या 40252/ 2018 को इस न्यायालय ने 19 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है। इसलिए उन्होंने आगे निवेदन किया है कि मुद्दा अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है और इसलिए, राज्य के लिए सहायक शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अपीलों में आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता, जो न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष सफल हुए हैं, उन्हें बहाल नहीं किया गया है।

26. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, उक्त नियमों के नियम 5 और 6 का संदर्भ लेना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"5. बोर्ड में आवेदन की प्रक्रिया एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारी की नियुक्ति -

(1) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान की प्रबंध समिति या शासी निकाय का सचिव, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष अगस्त के इकतीसवें दिन या उससे पहले प्रत्येक आवेदन की प्रति के साथ चयन बोर्ड को आवेदन करेगा। स्कूलों के संबंध में संबंधित स्कूलों के निरीक्षक [उच्च शिक्षा निदेशक] कॉलेजों के संबंध में इस तरह से जैसे कि चयन बोर्ड शिक्षण पद में रिक्ति या रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार के चयन के लिए निर्धारित कर सकता है, और स्कूलों के संबंधित निरीक्षक और [उच्च शिक्षा निदेशक] इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसवें दिन तक रिक्ति या रिक्तियों की वास्तविकता के प्रमाण पत्र के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों में रिक्ति की स्थिति के विवरण के साथ चयन बोर्ड को भेज देगा, उसका अधिकार क्षेत्र में

(2) चयन बोर्ड, उप-नियम () में निर्दिष्ट आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, संबंधित निदेशकों को रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यता के क्रम में

उम्मीदवारों की एक सूची की सिफारिश करेगा, जो उसके बाद उम्मीदवारों को आवंटित करेगा। संबंधित संस्थान रिक्ति के अनुसार योग्यता के क्रम में सख्ती से।

3) उप-नियम (2) के तहत आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रबंध समिति या शासी निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी।

(4) [***]

(5) किसी भी उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सीमा में, इस आशय की रिपोर्ट प्रबंध समिति या शासी निकाय के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा [संबंधित निदेशक] को भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उम्मीदवार का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। परिणामी रिक्तियों को चयन बोर्ड से प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की सूची से प्राप्त अतिरिक्त सूची से संबंधित निदेशक द्वारा आवंटित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(6) यदि निदेशक द्वारा आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति में चूक का मामला उनके संज्ञान में आता है, तो वह संबंधित संस्थान को भुकतान की जाने वाली अनुदान सहायता की व्यक्तिगत शिक्षक की लागत को रोकने और कदम उठाने के लिए सक्षम होंगे। अधिनियम की धारा 11 के तहत, जैसा भी मामला हो, प्रबंध समिति या शासी निकाय को अधिक्रमण करना।

(7) जहां अगस्त के इकतीसवें दिन तक कोई रिक्ति की उम्मीद नहीं थी, प्रबंध समिति या सरकारी निकाय के सचिव, जैसा भी मामला हो की, संबंधित निरीक्षक या निदेशक के माध्यम से चयन बोर्ड को आवेदन करेंगे। हो सकता है कि उम्मीदवारों के आवंटन के लिए, चयन बोर्ड संबंधित निदेशक के माध्यम से अपने द्वारा रखी गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा।

(8) रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड को आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा [छह महीने की अवधि के लिए या चयन बोर्ड से उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची प्राप्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो] और ऐसी सभी नियुक्तियाँ प्रबंध समिति या सरकारी निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी कॉलेज के अलावा किसी अन्य संस्थान के संबंध में निरीक्षक और कॉलेज के संबंध में निदेशक की पूर्व मंजूरी से की जा सकती हैं।

[बशर्ते कि जहां, जैसा भी मामला हो, निरीक्षक या निदेशक को यह प्रतीत होता है कि इस नियम के प्रावधानों के अनुसार किसी रिक्ति या रिक्तियों पर नियुक्ति को इस उप-नियम के अनुसरण में नियुक्तियां करके टाला जा रहा है, तो निदेशक स्वप्रेरणा से या निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रबंध समिति या शासी निकाय के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा।]

355 ओडिशा राज्य और अन्य। आदि आदि। वी. सुलेख चंद्र प्रधान आदि [बी. आर. गवई जे.]

(9) उप-नियम (8) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रबंध समिति या शासी निकाय, जैसा भी मामला हो, चयन बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने तक नियुक्ति की शर्तों को सरकार की पूर्व अनुमति से छह महीने से अधिक बढ़ाने के लिए सक्षम होगा।

6. अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया-

(1) चयन बोर्ड, ऐसे अंतरालों पर, जिन्हें वह उचित समझे, विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगेगा, जिनके संबंध में अगले एक वर्ष के दौरान रिक्तियां उत्पन्न होने की संभावना है, जैसा कि विनियमन में निर्धारित किया जा सकता है।

(2) चयन बोर्ड अपने नियमों में निर्दिष्ट मामले में उनकी योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करने की दृष्टि से किसी भी उम्मीदवार या सभी उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा सहित परीक्षा आयोजित करेगा।

27. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की प्रबंध समिति या शासी निकाय के सचिव, जैसा भी मामला हो, को चयन के लिए आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष अगस्त के इकतीसवें दिन या उससे पहले बोर्ड को प्रत्येक आवेदन की एक प्रति संबंधित स्कूल निरीक्षक और उच्च शिक्षा निदेशक को भेजनी होगी। स्कूलों के निरीक्षक और उच्च शिक्षा निदेशक को प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करनी होगी और उसे रिक्ति/रिक्तियों की वास्तविकता के प्रमाण पत्र के साथ हर साल सितंबर के तीसवें दिन तक चयन बोर्ड को भेजना होगा। उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) के अवलोकन से पता चलता है कि चयन बोर्ड संबंधित निदेशकों को रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची की सिफारिश करेगा, जो उसके बाद उम्मीदवारों को आवंटित करेगा। संबंधित संस्थान रिक्ति के अनुसार योग्यता के क्रम में सख्ती से।

28. उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (6) के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि प्रबंधन निदेशक द्वारा आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने में चूक करता है, तो वह व्यक्तिगत शिक्षक की अनुदान लागत को रोकने के लिए सक्षम होगा। संबंधित संस्था को सहायता का भुगतान किया जाना है। वह, जैसा भी मामला हो, प्रबंध समिति या शासी निकाय को हटाने के लिए कदम

उठाने का भी हकदार है। उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (8) के तहत, रिक्तियों को भरने के लिए छह महीने की अवधि या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूची की प्राप्ति की तारीख तक छूट दी गई है। उक्त नियमों का नियम 5. हालाँकि, इसे किसी कॉलेज के अलावा किसी अन्य संस्थान के संबंध में निरीक्षक और कॉलेज के संबंध में निदेशक की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

29. उक्त नियमावली का नियम 6 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

30. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत चयन प्रक्रिया निर्धारित है।

31. उड़ीसा सरकार, शिक्षा और युवा सेवा विभाग के दिनांक 12 सितंबर, 1980 के अनुमोदन आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रत्येक एम.ई. स्कूल के लिए, केवल दो पद, यानी, एक प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक का एक पद और एक पद एक प्रशिक्षित मैट्रिक शिक्षक को मंजूरी दे दी गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी अन्य पद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी आवेदकों/उत्तरदाताओं/शिक्षकों की नियुक्ति नियमों/कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे संबंधित प्रबंधन द्वारा की गई है। यह एक घिसा-पिटा कानून है कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में की गई नियुक्तियाँ शुरू से ही अमान्य हैं। इस संबंध में आयुर्वेद प्रसारक मंडल और अन्य बनाम गीता भास्कर पेंडसे (श्रीमती) और अन्य [1], जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और अन्य बनाम डॉ. के नरिंदर मोहन और अन्य [2], आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य [3], और भारत संघ और अन्य बनाम रघुवर पाल सिंह [4]। मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

33. हम श्री गौरव अग्रवाल और श्री आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि चूंकि आवेदकों/शिक्षकों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया था जो अनुदान सहायता के आधार पर नहीं थे,

[1] (1991)3 एससीसी 246

[2] (2008)10 एससीसी 1

[3] (2018)15 एससीसी 463

[4] (1997)2 एससीसी 635

इसलिए उक्त नियम लागू नहीं होते हैं। उक्त नियम स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि वे सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान पर लागू होते हैं। निर्विवाद रूप से, जिन संस्थानों में आवेदकों/शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, उन्हें 12 सितंबर, 1980 के जी.ओ. के तहत सहायता प्राप्त एम.ई. स्कूलों के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भी विवाद में नहीं है कि इस प्रकार की गई नियुक्तियाँ स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद की गई थीं। ऐसे में, उस संबंध में विवाद खारिज किए जाने योग्य है।

34. हमने आगे पाया कि न्यायाधिकरण, 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 को निर्णय और आदेश सुनाते समय, 25 जून, 2013 और 23 सितंबर, 2013 को दिए गए पहले के आदेशों पर विचार करने में विफल रहा है। उसी न्यायाधिकरण द्वारा. 2013 के उक्त आदेशों में, न्यायाधिकरण ने उक्त नियमों के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया था और उसमें आवेदकों की ओर से उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाई थी। न्यायाधिकरण द्वारा अपने पहले के आदेशों की अनदेखी करते हुए पारित आदेश, जो उक्त नियमों की योजना पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए पारित किए गए थे, न्यायिक औचित्य के सुस्थापित मानदंडों के पूरी तरह से विपरीत हैं। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने ओ.ए. क्रमांक 2270/ 2015 को अनुमति दे दी है। उसके आदेश दिनांक 18 मई, 2017 श्री अंतर्यामी बाल द्वारा दायर किया गया था, जिसका पूर्व आवेदन 4029(2) /1996 था। इसी राहत के संबंध में न्यायाधिकरण ने अपने पहले के आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा खारिज कर दिया था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, निर्धारित कानून के मद्देनजर पूरी तरह से अस्थिर हैं। यह न्यायालय आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (सुप्रा) के मामले में है। इतना ही नहीं, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी इस न्यायालय द्वारा 2 दिसंबर, 1996 को सिविल अपील संख्या 15712/1996 में पारित आदेश पर विचार करने में विफल रहा है।

35. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से न्यायिक विवेक का उपयोग न करने को दर्शाता है। जबकि कारण शीर्षक स्वयं दिखाएगा कि एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 6557/ 2018 का निपटारा आलोच्य निर्णय एवं आदेश द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय ने पाया कि 18 मई, 2017 का आदेश, न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 2266/ 2015 में

पारित किया गया था, राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। जबकि शिक्षकों ने मुश्किल से चार साल तक काम किया है और इसका एक बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण है, उच्च न्यायालय का मानना है कि शिक्षकों ने 20 वर्षों से अधिक की अवधि तक काम किया है। राज्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते समय ठोस कारणों को छोड़कर कोई भी कारण, लागू आदेश में परिलक्षित नहीं होता है।

36. यह हमें विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन की दलील के साथ छोड़ता है कि चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है और इसे चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है, इसलिए न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण गलत है। अंतिम हो जाओ. इस संबंध में, कुन्हायमद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य [6] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

> "27। इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति की याचिका को गैर-बोलने वाले आदेश या बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज किया जा सकता है। बर्खास्तगी के आदेश में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली जो भी हो, यदि यह एक गैर-बोलने वाला आदेश है, यानी, यह विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का कारण नहीं बताता है, तो यह न तो विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा ताकि इसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके समक्ष जारी आदेश न ही संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा होगी क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे घोषित किया गया हो। यदि बर्खास्तगी के आदेश को कारणों से समर्थित किया जाता है तो भी विलय का सिद्धांत आकर्षित नहीं होगा क्योंकि प्रयोग किया गया क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं था बल्कि केवल एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार था जो अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर रहा था। हम पहले ही इस पहलू से निपट चुके हैं। फिर भी न्यायालय द्वारा बताए गए कारण संविधान के अनुच्छेद 141 की प्रयोज्यता को आकर्षित करेंगे यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई कानून है जो स्पष्ट रूप से भारत में सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों और निश्चित रूप से इसके पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कानून के बिंदुओं के अलावा आदेश में शामिल बयान पार्टियों और अदालत या न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी होगा, जिसके आदेश को न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत पर चुनौती दी गई थी, यह न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या पार्टियों को इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए

[6] (2000) 6 एससीसी 359

359 ओडिशा राज्य और अन्य। आदि आदि। वी. सुलेख चंद्र प्रधान आदि [बी. आर. गवई जे.]

गए विचार के विपरीत कोई भी विचार अपनाने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह होगा कि उसने कानून घोषित कर दिया है और उस आलोक में मामले को छुट्टी देने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। कानून की घोषणा अनुच्छेद 141 द्वारा शासित होगी लेकिन फिर भी, मामला ऐसा नहीं है जहां छुट्टी दी गई हो, विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। न्यायालय कभी-कभी कानून के प्रश्न को खुला छोड़ देता है। या यह कभी-कभी संक्षेप में सिद्धांत बताता है, हो सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के विपरीत हो और फिर भी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर देगा। दिए गए कारण अनुच्छेद 141 के उद्देश्यों के लिए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि केवल विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने की स्थिति में, यह संभावना है कि उच्च न्यायालय में एक तर्क दिया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को नहीं समझा जाना चाहिए उच्च न्यायालय के साथ कानून में मतभेद होना।"

[जोर दिया गया]

37. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का मतलब यह नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसे में उस संबंध में तर्क खारिज किया जाता है।

38. इसलिए, हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण ने आवेदकों/शिक्षकों के मूल आवेदनों को अनुमति देकर गलती की है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने में गलती की है।

39. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ का 20 दिसंबर, 2018 का आलोच्य निर्णय एवं आदेश और आदेश रिट याचिकाओं के एक बैच में पारित हुआ और न्यायाधिकरण के 18 मई, 2017 और 30 जनवरी, 2018 के निर्णय और आदेश एक बैच में पारित हुए। मूल आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तरदाताओं/आवेदकों द्वारा दायर मूल आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

40. हस्तक्षेप के आवेदनों सहित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। खर्च के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर अपील स्वीकार की गई।

(सहायता: इरम जान, एल.सी.आर.ए)

एस.डी. त्रिपाठी

डी.जे.-1 जामताड़ा